संख्या-11/2020/जी-2-131/दस-2020-604/82टी0सी0

प्रेषक,

एस0राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2020**

विषय – राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत अनुमन्य किराये के बदले स्पेशल कैश पैकेज सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं परिवहन तथा होटल क्षेत्र की सुविधाओं में व्यवधान के कारण केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग न कर पाने को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या-F.No.12(2)/2020-EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये अवकाश यात्रा सुविधा के बदले एक स्पेशल कैश पैकेज अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- भारत सरकार द्वारा लागू की गयी उक्त योजना के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा राज्य कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा के नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य किराये के बदले स्पेशल कैश पैकेज की सुविधा निम्नवत् अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(1) यह सुविधा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च, 2021 तक अवकाश यात्रा सुविधा सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत अवकाश यात्रा की सुविधा का लाभ पाने के पात्र हैं तथा जो इस सुविधा के अन्तर्गत अनुमन्य रेल किराये के बदले स्पेशल कैश पैकेज प्राप्त करने के इच्छुक हों।

(2) इस सुविधा के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी को गन्तव्य स्थान तक जाने एवं वापस आने के लिये रू0 6,000 प्रति व्यक्ति की दर से डीम्ड किराया स्वयं सहित परिवार के कुल अधिकतम 04 अवकाश यात्रा सुविधा के लिये पात्र सदस्यों के लिये अनुमन्य होगा, यदि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अनुमन्य होने वाली धनराशि की तीन गुना धनराशि डिजिटल मोड से जी0एस0टी0 में पंजीकृत वेन्डर्स/सेवा प्रदाताओं से ऐसी वस्तुओं के क्रय पर खर्च की जाती है, जिन पर जी0एस0टी0 की निर्धारित दर 12 प्रतिशत से कम न हो।

(3) सम्बन्धित कर्मचारी को अवकाश यात्रा सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज के रूप में अनुमन्य धनराशि की प्रतिपूर्ति उसके द्वारा वस्तुओं के क्रय का वाउचर,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिसमें की जी0एस0टी0 संख्या और भुगतानित जी0एस0टी0 धनराशि अंकित हो, प्रस्तुत किये जाने पर की जायेगी।

(4) इस व्यवस्था का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी को उसे अनुमन्य होने वाले अवकाश यात्रा सुविधा के डीम्ड किराये की धनराशि का 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में कर्मचारी के बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा, जिसका समायोजन वस्तुओं के क्रय का वाउचर प्रस्तुत करने पर उसको किये जाने वाले अंतिम भुगतान में से किया जायेगा।

(5) इस प्रकार के दावों का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही कराया जाना आवश्यक होगा तथा अग्रिम का प्रयोग न करने या कम प्रयोग करने की स्थिति में उपयोग न किये गये/कम उपयोग किये गये अग्रिम की वसूली दण्ड ब्याज के साथ की जायेगी।

(6) अवकाश यात्रा सुविधा के बदले अनुमन्य की जाने वाली स्पेशल कैश पैकेज की धनराशि पर आयकर के नियम उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार अवकाश यात्रा सुविधा के किराये के भुगतान पर लागू होते हैं।

3- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,
एस0राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-11/2020/जी-2-131(1)/दस-2020, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in